न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री शक्ति सिंह राठौड़, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 2025/29/भीलवाड़ा

शरीफ मोहम्मद पुत्र श्री शफी मोहम्मद निवासी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
आदेश कमांक न्याय/ आदेश/2021/25018 दिंनाक 20–12–2021

उपस्थितः 1– श्री रमजान मोहम्द अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 08–12–2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की 12 बोर डीबीबीएल बन्दूक नम्बर 9736/96 शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/एच0जी0एच/2/2000 को नवीनीकरण कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी के विरूद्व कोई फौजदारी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने शस्त्र को नवीनीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने उक्त शस्त्र को कार्यालय के आदेश कमांक 24286 दिनांक 27–8–2020 से निलंबित किया गया था। उक्त निलंबन ओश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अपने आदेश दिनांक 20–12–2021 से नवीनीकरण करने से मना कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के उक्त आदेश दिनांक 20–12–2021 से व्यक्ति होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु नजरअन्दाज किया है कि अपीलांट रिटायर्ड फौजी है जिसने सीमा पर देश की गौरवमय तरीके से योगदान कर सेवा की गई है। अपीलांट का शस्त्र

संभागीय आयुक्त
अजमेर

12 बोर डी.बी.बी.एल बंदूक 9736/96 को दिनांक 27.08.2020 को नवीनीकरण नही कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जबकि प्रकरण संख्या 157/1986 केस संख्या 19/1986 निर्णय दिनांक 14.12.1994 में आई.पी.सी. में लाभ दिया जाकर अपीलांट को बरी किया जा चुका है। साथ ही प्रकरण संख्या 34/2000 एस.सी.एस.टी. एक्ट की धारा 3(1) (10) मे भी अपीलार्थी को दिनांक 03.10.2002 को दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रकरण संख्या 281/18 में धारा 341,323, 342 भारतीय दण्ड संहिता केस संख्या 194/18 दिनांक 30.11.2018 निर्णय विचाराधीन हैं। जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा द्वारा अपीलार्थी के बन्दूक का लाईसेंस नवीनीकरण आवेदन पत्र इस आधार पर नवीनीकरण करने से इन्कार कर दिया गया कि अपीलार्थी आदतन अपराधी प्रतीत होता है एव हथियार का प्रयोग डराने व धमकाने में कर सकता है, केवल मात्र काल्पनिक आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसा कोई फौजदारी प्रकरण विचाराधीन नहीं है, जिससे बंदूक के लाईसेंस नवीनीकरण पर कोई गलत प्रभाव पडता हो। अपीलार्थी सभ्य नागरिक है और गाँव में अपने खेतीबाडी में जगंली जानवरो से सुरक्षा हेतु बंदूक साथ में रखता है। अपीलार्थी ने आज दिवस तक कोई गलत प्रयोग नही किया है, इस कारण अपीलार्थी के बंदूक का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा के आदेश कमांक/ न्याय / आदेश / 2021 /25018 दिनांक 20.12.2021 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का 22 वर्ष पुराना शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल बंदूक नम्बर 9736/96 का नवीनीकरण कर अपीलार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं है, अंकित किया है। अपीलार्थी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 12 बोर डीबीबीएल बन्दूक नम्बर 9736/96 शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/ एच0जी0एच/2/2000 को उनके आदेश कमांक 24286 दिनांक 27–8–2020 से निलंबित किया गया था, उक्त आदेश को यथावत रखा गया है। आवेदक को किसी प्रकार से जंगली जानवरों से जानमाल का खतरा कोई खतरा होने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र आदेश दिनांक 20–12–2021 द्वारा निरस्त किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की प्राप्त रिपोर्ट में अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं होना अंकित किया है, के आधार पर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 12 बोर डीबीबीएल बन्दूक नम्बर 9736/96 शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/एच0जी0एच/2/2000 को जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 24286 दिनांक 27–8–2020 से निलंबित किया गया था, अपीलार्थी ने पूर्व में आपराधिक कृत्य किये जाने के कारण ही उसे सजा हुई और माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त भी कर दिया है किन्तु अपीलार्थी आपराधिक कृत्य में लिप्त तो रहा ही है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा उक्त निलम्बन आदेश को यथावत रखा रखते हुए अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का आवेदन पत्र दिनांक 20–12–2021 से निरस्त कर दिया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है की अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र का लाईसेंस नवीनीकरण जंगली जानवरों से सुरक्षार्थ चाहा गया है अपीलार्थी पर पूर्व में किसी जंगली जानवर ने हमला किया है, के संबंध में किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट लिखवाई हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं है एवं न ही अपीलार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान ही कोई दस्तावेज पेश किया है कि अपीलार्थी को जंगली जानवर से जान का खतरा होने के कारण हथियार की आवश्यकता है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल बन्दूक नम्बर 9736/96 शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/ एच0जी0एच/2/2000 के निलंबन आदेश को यथावत रखा गया है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश क्रमांक न्याय/आदेश/2021/25018 दिंनाक 20–12–2021 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08–12–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर